

01  
01

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

सेवा में,

श्री राज कुमार सिंह,  
कर्मनासा, भमुआ, कैमुर।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजनान्तर्गत एल023-टी05 से दुवियाही, पैकेज संख्या-बी0आर0-21आर0-588 का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजनान्तर्गत एल023-टी05 से दुवियाही, पैकेज संख्या-बी0आर0-21आर0-588 का अनुरक्षण कार्य आपको अनेको बार मौखिक कहने के उपरांत भी नहीं किया जा रहा है जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है एवं विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी के निर्देशों का अवहेलना किया जा रहा है, जो अत्यंत ही खेदजनक है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि 03 (तीन) दिनों के अंदर अनुरक्षण कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपके एकरारनामा को रद्द करते हुए डिबार एवं निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसे अंतिम स्मार समझें।

विश्वासभाजन,

६०।-

कार्यपालक अभियंता

ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, मधुबनी

ज्ञापांक 1419

दिनांक ०५/६/२१

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक अभियंता / कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर अनुरक्षण कार्य 03 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जो संवेदक अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो उन सभी संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। यदि संवेदक के द्वारा कार्य नहीं किया गया है और आपके द्वारा उन सभी संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं की गई है, तो आपके विरुद्ध अनुशात्मक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी।

60/०६/२१

कार्यपालक अभियंता

ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Jpeter

3.6.21